न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 30/2020
रजिस्ट्रेशन नं. :2020/00032

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरिप्रसाद अग्रवाल जाति अग्रवाल मालिक विक्रेता मैसर्स शाकम्बरी ट्रेडिंग कम्पनी, पुराना बस स्टेण्ड के पिछे, बॉसवाडा। स्थायी पता– 7/136 खान्दु कोलोनी, बॉसवाडा (राजस्थान)
2. श्री सुन्दरलाल पालीवाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल जाति पालीवाल, मेनेजर एवं नोमिनी, मैसर्स– श्री मॉ ऑईल्स लिमिटेड, 18–19, ग्रेस–1, मुसाखेडी, रींग रोड, इन्दौर–452020 (मध्यप्रदेश)
3. मैसर्स– श्री मॉ ऑईल्स लिमिटेड, 18–19, ग्रेस–1, मुसाखेडी, रींग रोड, इन्दौर–452020 (मध्यप्रदेश)

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल अप्रार्थी
श्री राजीव जोशी अधिवक्ता अप्राथी सं. 2,3

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के द्वारा दिनांक 04.09.2020 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 31–12–2019 को अप. 02.30 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स शाकम्बरी ट्रेडिंग कम्पनी बॉसवाडा पर पहुंचा, निरीक्षण करने पर पाया कि उपरोक्त विक्रेता की दुकान पर श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल उपस्थित थे, विक्रेता को खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन वर्ष 2019 का दिखाने को कहा, जिस पर विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन पत्र प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर धरती मॉ फिल्टर्ड तिल्ली तेल की 1 लीटर की 20 बोतल मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को बिक्री हेतु [illegible] स्टैण्डर्ड एवं अनसेफ का शक होने पर धरती मॉ फिल्टर्ड तिल्ली तेल की 1 लीटर [illegible] 4 [illegible] मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति मे फार्म नं. 5ए पर खरीदने [illegible] तथा इसकी कीमत 600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथ[illegible]वाहान के हस्ताक्षर करवा[illegible] तस्दीक की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.03.05 12:20:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नमूना जांच हेतु क्रय की गई धरती मॉ फिल्टर्ड तिल्ली तेल की 1 लीटर की 4 बोतल पर फार्म नं. 5ए पर वर्णित सभी जानकारी अंकित पाई गई। विक्रेता ने मौके पर उक्त धरती मॉ फिल्टर्ड तिल्ली तेल की खरीद के संबंध में अग्रिम बिल प्रस्तुत किया। प्रत्येक नमुना बोतल को मोटे व मजबुत कागज में लपेट कर, कागज के दोनो सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। चारो बोतल पर विभाग के कोड व सिरीयल नं.W–565 जिस पर विवरण आदि अंकित कर विक्रेता एवं गवाहान से हस्ताक्षर करा स्वयं ने चिपकाया। प्रत्येक नमूना बोतल पर अभिहित खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप W – 565 प्रत्येंक नमूना बोतल के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में गौंद से चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील बन्द किया। प्रत्येक सीलबन्द नमूना बोतल पर सम्पूर्ण विवरण अंकित कर हस्ताक्षर किये गये एवं नमुना जारों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने जाप्ते में लिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म 5–ए की प्रतियां व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढा कर, सुना कर एवं समझा स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त चार भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बॉसवाडा को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या PH Lab/Act/2020/ 06 दिनांक 13–01–2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया धरती मॉ फिल्टर्ड तिल्ली तेल CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(10) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। जिस पर अभियुक्त सं.1 से 3 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) व 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09–09–2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 का सम्मन तामील होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से दिनांक 17.02.2021 को श्री राजीव जोशी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं जवाब प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी सं.1 उपस्थित रहे तथा जाहिर किया कि वह जवाब पेश नही करना चाहते है अतः अप्रार्थी सं.1 की ओर से जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं.2 व 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया गया कि धरती मॉं धरती तिल्ली तेल को खाद्य विश्लेषक द्वारा इसलिये मिथ्या छाप धोषित किया गया है कि नमुने के पैकेट पर बेस्ट बिफोर से सम्बन्धित जानकारी अग्रेजी भाषा के केपीलट में अंकित नही है। इस सम्बन्ध मे खाध विश्लेषक द्वारा जो जॉच प्रतिवेदन दिया है उसमें भी Best before : 9 Monthd from Date of Packing [illegible] इस प्रकार अधिनियम के अनुसार जो जानकारी उपभोक्ताओ को दी जानी चाहिये वह अप्रार्थी द्वारा दी गई है। तथा निवेदन किया कि अप्रार्थीगणो के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.03.05 12:20:41 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

दिनांक 24.02.2021 को उभयपक्ष की ओर से बहस प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी सं. 1 ने बहस प्रस्तुत करने से इन्कार किया। अप्रार्थीगण सं. 2,3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहाराते हुए कथन किया कि धरती मॉ फिल्टर्ड तिल्ली तेल को खाद्य विश्लेषक द्वारा इसलिये मिथ्या छाप धोषित किया गया है कि नमुना बोतल पर बेस्ट बिफोर से सम्बन्धित जानकारी अग्रेजी भाषा के केपीलट में अंकित नही है। इस सम्बन्ध मे खाध विश्लेषक द्वारा जो जॉच प्रतिवेदन दिया है उसमें भी Best before : 9 Monthd friom Date of Packing अंकित है। इस प्रकार अधिनियम के अनुसार जो जानकारी उपभोक्ताओ को दी जाना चाहिए वह अनावेदकगणो द्वारा दी गई है। साथ ही कथन किया कि खाद्य सुरक्षा एवं अपील प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में एडवाईजरी जारी कर लधु त्रुटि वाले प्रकरण में सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारी/अभिहीत अधिकारी/खाद्य आयुक्त को निर्देश जारी किये है कि इस सम्बन्ध में खाद्य कारोबारकर्ता को धारा 32 के अन्तर्गत सुधार सूचनाए जारी करना न्यायोचित होगा। अधिवक्ता द्वारा fssai का परिपत्र NO-15(28)2020/Advisory/RCD/FSSAI प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 अन्तर्गत की गई है। धरती मॉ फिल्टर्ड तिल्ली तेल नमुना बोतल पर बेस्ट बिफोर से सम्बन्धित जानकारी अग्रेजी भाषा के केपीलट में अंकित नही है के कारण CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(10) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। जिस पर अभियुक्त सं.1 से 3 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या PH Lab/Act/2020/ 06 दिनांक 13–01–2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया धरती मॉ फिल्टर्ड तिल्ली तेल की नमुना बोतल पर बेस्ट बिफोर से सम्बन्धित जानकारी अग्रेजी भाषा के केपीलट में अंकित नही होने के कारण CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(10) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है।

अतः CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(10) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत धरती मॉ फिल्टर्ड तिल्ली तेल मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। अभियुक्त सं.1 से 3 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.03.05 12:20:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधिनियम 2006 व नियम 2011 का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत् आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अभियुक्त **श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरिप्रसाद अग्रवाल जाति अग्रवाल मालिक विक्रेता मैसर्स शाकम्बरी ट्रेडिंग कम्पनी, पुराना बस स्टेण्ड के पिछे, बॉसवाडा को 10,000/–, श्री सुन्दरलाल पालीवाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण पालीवाल जाति पालीवाल, मेनेजर एवं नोमिनी, मैसर्स– श्री मॉ ऑईल्स लिमिटेड, इन्दौर को 10,000/–, मैसर्स– श्री मॉ ऑईल्स लिमिटेड, इन्दौर को 10,000/–**के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.03.05 12:20:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner